प्रकरण संख्या 48/2022
रामलाल उर्फ रामजीलाल बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 27.02.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी:	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:	48/2022
दायर दिनांक:	17.08.2022
निर्णय दिनांक:	27.02.2023

उनवान

रामलाल उर्फ रामजीलाल पुत्र रमशी कौम गुर्जर निवासी खुरी कलां तहसील व जिला दौसा।
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।
अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. प्रार्थी की ओर से – श्री राकेश कुमार जैमन, एडवोकेट।

<u>प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956</u>

प्रार्थी रामलाल उर्फ रामजीलाल पुत्र रमशी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.25 है0, 144 रकबा 0.63 है0, 145 रकवा 0.03 है0, 147 रकबा 0.25 है0, 148 रकबा 0.04 है0, 149 रकबा 0.42 है0, 150 रकबा 0.23 है0, 151 रकवा 0.66 है0, 152 रकबा 0.84 है0, 153 रकबा 0.89 है0, 154 रकबा 0.89 है0, 155 रकबा 0.48 है0, 156 रकबा 0.34 है0, 156/1989 रकबा 0.01 है0, 157 रकबा 0.27 है0, 158 रकबा 0.21 है0, 159 रकबा 0.30 है0, 160 रकबा 0.20 है0, 161 रकबा 0.15 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 7.09 है0 वाके ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 27/1 थे। जिसमें प्रार्थी का हक व हिस्सा है, जिस पर प्रार्थी अर्से दराज से बदस्तूर काबिज चला आ रहा है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से रामप्रताब पुत्र मु0 रमशी दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम रामलाल उर्फ रामजीलाल पुत्र रमशी है। उक्त भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में प्रार्थी क्रेता का सही नाम रामलाल पुत्र रमशी दर्ज है। नामान्तरकरण व जमाबंदियों में प्रारम्भ में तो रामलाल पुत्र रमशी सही रूप से दर्ज कर दिया गया, लेकिन बाद में गलत रूप से रामलाल पुत्र रमशी के स्थान पर रामप्रताब पुत्र रमशी दर्ज कर दिया। ग्राम खुरी कलां में रामप्रताब पुत्र रमशी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 29.07.2022 को तहसीलदार दौसा से प्रार्थी के नाम की उक्त भूमि के रिकार्ड में दुरूस्ती करने का निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय से दुरूस्ती के आदेश कराने हेतु कहा। अतः दुरूस्ती इन्द्राज का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा स्थित उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज रामप्रताब पुत्र मु0 रमशी के स्थान पर दुरूस्ती करके प्रार्थी का सही नाम रामलाल उर्फ रामजीलाल पुत्र रमशी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार दौसा को प्रदान करने की कृपा करें।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (रा.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा की ओर से जवाब पेश कर अवगत कराया गया है कि ग्राम खुरी कलां जमावंदी संवत् 2073–76 के खाता सं. 302 में ख0 नं0 143/0.25, 144/0.63, 145/0.03, 147/0.25, 148/0.04, 149/0.42, 150/0.23, 151/0.66, 152/0.84, 153/0.89, 154/0.89, 155/0.48, 156/0.34, 156/1989/0.01, 157/0.27, 158/0.21, 159/0.30, 160/0.20, 161/0.15 किता 19 कुल रकबा 7.09 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी का नाम रामप्रताप पुत्र मु. रमशी हि. 17/191 दर्ज है। जमावंदी संवत् 2033–36 के खाता सं. 198 में एवं मिसल वंदोवस्त संवत् 2041 से 2060 के खाता सं. 202 में वादी का नाम रामप्रताप पि.मु. रमशी दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2029–2032 के खाता सं. 165 में वादी का नाम रामलाल पि. रमशी दर्ज है। इस प्रकार मुताबिक रिकार्ड संवत् 2029–32 अनुसार वादी का नाम रामलाल पि. रमशी दर्ज है, जो सही है।

प्रार्थी ने दयाराम पुत्र मूलचन्द एवं सुमेर सिंह पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी खुरी कलां तहसील दौसा को गवाह के रूप में पेश किया। इन दोनों की ओर से प्रस्तुत एक संयुक्त शपथ–पत्र पेश किया गया, जिसमें उक्त दोनों शपथ कर्ताओं ने कथन किया है कि रामलाल उर्फ रामजीलाल पुत्र रमशी गुर्जर हमारा सह–खातेदार है। रामलाल उर्फ रामजीलाल को उक्त दोनों नामों से जाना जाता है। रामलाल उर्फ रामजीलाल का नाम हमारी जमाबंदी में रामप्रताप है, जो कि गलत है। रामप्रताप का सही एवं वास्तविक नाम रामलाल उर्फ रामजीलाल है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 में खाता संख्या 302 में प्रार्थी का नाम रामप्रताव पुत्र मु. रमशी हिस्सा 17/191 अंकित है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम रामप्रताव पुत्र मु. रमशी की जगह रामलाल उर्फ रामजीलाल पुत्र रमशी करवाना चाहता है। प्रार्थी की ओर से पेश गवाह उसके सह–खातेदार दयाराम पुत्र मूलचन्द एवं सुमेर सिंह पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी खुरी कलां तहसील दौसा की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार भी रामप्रताव का सही एवं वास्तविक नाम रामलाल उर्फ रामजीलाल बताया गया है। तहसीलदार दौसा की ओर से पेश जवाब के मुताबिक संवत् 2029–32 की जमाबंदी अनुसार वादी का नाम रामलाल पि. रमशी दर्ज है, जो सही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के नाम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा के खाता संख्या 302 खसरा नम्बर 143/0.25, 144/0.63, 145/0.03, 147/0.25, 148/0.04, 149/0.42, 150/0.23, 151/0.66, 152/0.84, 153/0.89, 154/0.89, 155/0.48, 156/0.34, 156/1989/0.01, 157/0.27, 158/0.21, 159/0.30, 160/ 0.20, 161/0.15 किता 19 कुल रकबा 7.09 है0 के राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी में जो रामप्रताव पुत्र मु. रमशी अंकित हो रहा है, उसके स्थान पर रामलाल उर्फ रामजीलाल पुत्र रमशी दर्ज किया जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)